हम एक हैं

धर्मपाल शास्त्री

मूल्य : तीस रुपये (Rs. 30.00)
संस्करण : 2008 © राजपाल एण्ड सन्ज़
ISBN : 978-81-7028-414-7
HUM EK HAIN (Story) by Dharmpal Shastri

राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110 006
Website : www.rajpalsons.com
E-mail : mail@rajpalsons.com

हम एक हैं

धर्मपाल शास्त्री

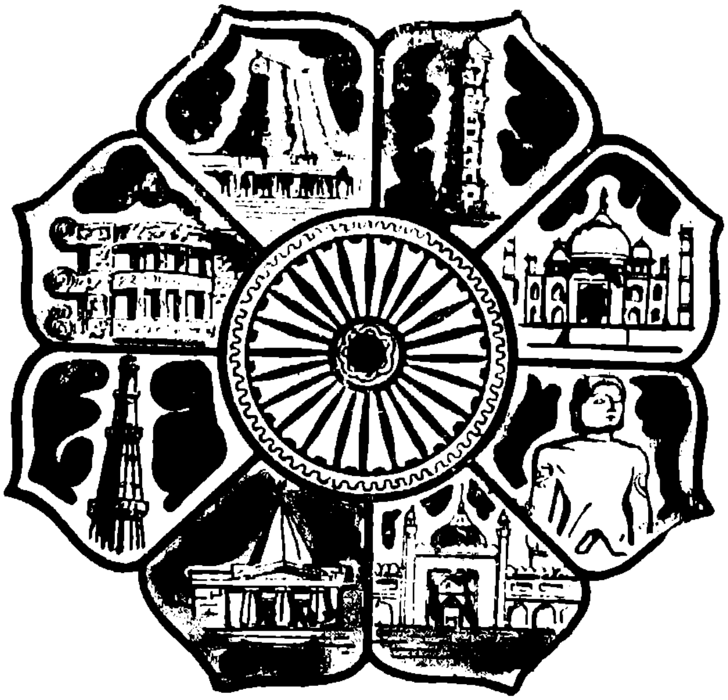

राजपाल

क्रम

हम एक हैं	7
नक्शा एक	11
पानी एक	14
रंग बिरंगी फुलवारी	17
तिजोरी एक	23
बोलचाल एक	27
कानून एक	33
झण्डा एक	36
एक माला के मनके	40
हम सबकी एक कहानी	44

हम एक हैं

पानी की एक बूँद टपकी, टप।

फिर दूसरी, फिर तीसरी, टप, टप, टप।

इस तरह बूँद-बूँद करके तालाब भर गया।

सागर भी इसी तरह भरता है।

उसमें करोड़ों बूँदें एकसाथ मिलकर बहती हैं। तब उन्हें कोई बूँद नहीं कहता। वे सागर कहलाती हैं जिसमें करोड़ों बूँदों का बल है।

बेचारी अकेली बूँद को पंछी पी जाता है। पुरवैया उड़ा ले जाती है। नहीं तो अंगनाई की माटी ही सोख लेती है। पर कहाँ एक बूँद, और कहाँ बूँदों का भरा सागर !

बूँद-बूँद की राशि मिलती है न! अब उनके दिल भी मिले। हाथ भी मिले, सुरताल भी मिला। करोड़ों बूँदें एक होकर लहराईं तो उनमें सागर की ताकत आ गई। आज जो बड़े-बड़े सागर सारी धरती को अपनी गोदी में दुलरा रहे हैं वे एक बूँद से मिलकर बने हैं।

बस्ती भी इसी तरह बसती है—एक-एक घर करके।

हमारा देश भारत भी इसी तरह भरा है।

एक-एक जवान करके हम सौ करोड़ का एक जनसागर बन गए हैं।

हम इस एक ही पानी के करोड़ों बुलबुले हैं।

इस पानी से उठकर हम फिर इसी में समा जाते हैं।

बेशक अपने-अपने घर में हम अलग-अलग हैं। भले ही ऊपर से गिनें तो हम सौ करोड़ से अधिक हैं पर ये करोड़ों शक्लें ऊपर की है। गहराई में तो जल एक है।

क्या हम सब एक ही भारत के एक ही मिट्टी-पानी से नहीं बने? क्या हम उसी के खेतों का अनाज खाकर और उसी की नदियों का पानी पीकर जवान नहीं हुए? फिर कौन हमें अलग कहेगा? एक ही माँ के बेटे-पोते अगर कमाऊ बनकर गाँव-गाँव, नगर-नगर में ज़मीन-जायदाद बसा लें तो क्या उनकी जात-बिरादरी बदल जाएगी? नहीं, कभी नहीं।

हमारी माँ एक है। हमारा लहू एक है। हमारा घराना एक है।

घर हमारे अलग-अलग हो सकते हैं—पर दिल तो एक हैं।

दूरी का हम में कोई सवाल नहीं।

हम एक ही जनसागर का पानी हैं—फट नहीं सकते।

हम हिन्दुस्तानी पहले हैं, पीछे कुछ और।

हिन्दुस्तान में हम सबका अपना-अपना कोना है। अपने-अपने घर में सब अपने-अपने हाल में मस्त हैं। पर जब ज़रूरत आ पड़े तो चारों कोने एक हो जाते हैं। फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन का कोई भेद नहीं रह जाता। कोने-कोने से निकलकर भारत के जवान एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं।

इस तरह हम कभी अकेले नहीं। हर हिन्दुस्तानी में सौ करोड़ का बल है, क्योंकि सौ करोड़ जनता एक है। हमारे दिल में हर हिन्दुस्तानी के लिए जगह है और हर हिन्दुस्तानी के दिल में हमारे लिए एक कोना है।

जात-पाँत, सूबा और गाँव पूछने की आवश्यकता ही क्या है? बस इतना ही जानना काफ़ी है कि हम हिन्दुस्तानी हैं, तुम भी हिन्दुस्तानी हो। आओ, गले मिलें।

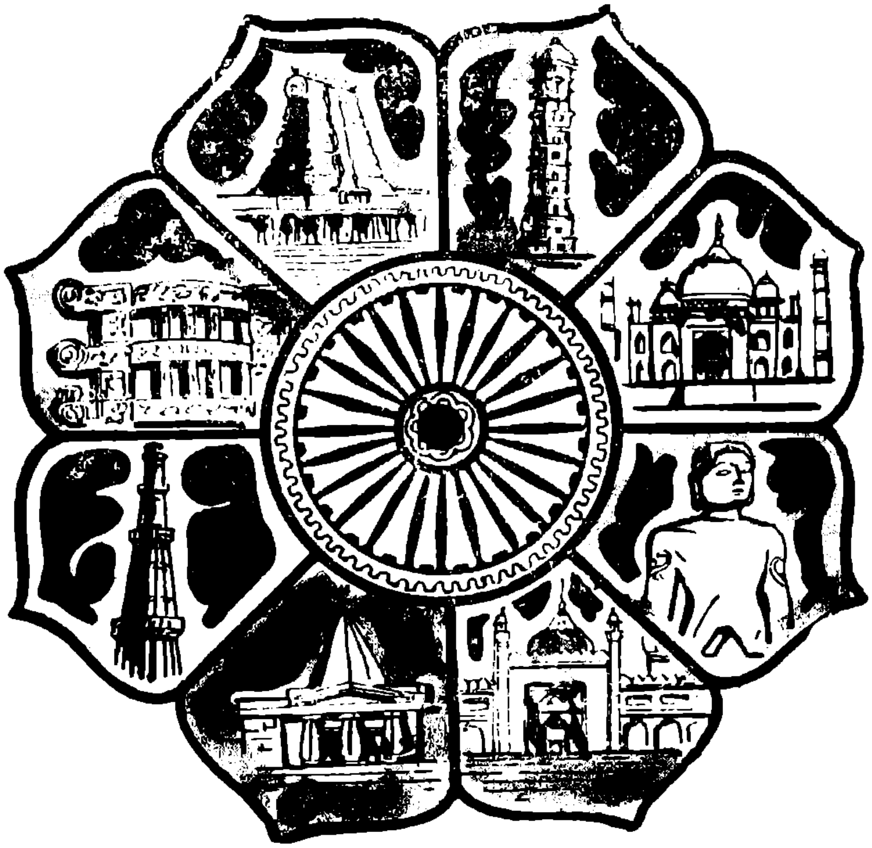

हमारा देश सारा हिन्दुस्तान है—काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। गुजरात से लेकर बंगाल तक। यह सारे का सारा महान् देश हमारा है। कोई कहे कलकत्ता तो बंगाल में है। ठीक है, यह बंगाल प्रदेश में है। लेकिन कलकत्ता में मेरा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, जो पंजाब और गुजरात में रहते हैं उनका भी हिस्सा है। इसी तरह कलकत्ता वालों का हिस्सा पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, गुजरात में भी है। सारे देश में उनका हिस्सा है। उनके हिस्से में सारे देश का हिस्सा है। यह भारत-भर की ज़मीन-जायदाद हम सबकी है।

भारत किसी एक जाति की जायदाद नहीं।

हिन्दुस्तान किसी एक धर्म का स्थान नहीं।

यह महान् देश हज़ारों वर्षों से हम सबका है।

इसके लिए ज़िम्मेदारी भी हम सबकी है।

हमारा कर्त्तव्य है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम सब मिलकर ज़ोर लगाएँ। देश के मुकाबले में छोटे-मोटे सवाल हमें मन में नहीं लाने चाहिएं।

हमें याद रखना है कि हमारा देश हिन्दुस्तान है, भारत है। हमारा देश पंजाब नहीं, मद्रास नहीं, बम्बई नहीं और न ही हमारा गाँव और शहर हमारा देश है। ये तो हमारे देश के अंग हैं। सारा भारत बढ़ेगा, तो पंजाब भी बढ़ेगा, मद्रास भी बढ़ेगा, बम्बई और हमारा गाँव भी बढ़ेगा। भारत नहीं बढ़ेगा, तो कोई नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी भारत की उन्नति में कन्धा लगाएँ। अधिक नहीं तो अपने नाम की ईंट-भर अवश्य लगाएँ। ईंट-ईंट मिलकर एक विशाल भवन खड़ा हो जाएगा। बूँद-बूँद मिलकर एक सागर भर जाएगा। फिर हमारा रास्ता कोई न रोक सकेगा।

नक्शा एक

भारत देश एक है।

हमारे-तुम्हारे कहने से नहीं—वह बनावट में एक है।

भूगोल में उसकी शक्ल एक है। धरती पर उसका बाँट एक है।

उसका नक्शा एक है। कुदरत ने उसे एक बनाया है।

दुनिया के आरंभ में वह एक था।

आज भी वह एक है, और आगे भी सदा एक रहेगा।

सिरजनहार ने हमारे देश को बड़ी सूझबूझ से बनाया। वह चाहता था कि भारतभूमि एक पूरा देश बने। इसलिए उसने अपने हाथों से इसका नक्शा एक बनाया है। कुदरत ने अपनी कलम से इसके नक्शे की लकीरें खींची हैं। ये लकीरें पहाड़ों और समुद्रों की हैं। भारत की एक हद पर हिमालय के फ़ौलादी पहाड़ों की दीवारें हैं। दूसरी ओर पाताल तक गहरा हिन्द महासागर लहराता है। भारत की हदबन्दी की ये कुदरती लकीरें हैं। इन्हें आदमी के हाथ नहीं मिटा सकते। कोई राजा इन्हें हटा नहीं सकता। कोई सेना इन्हें बदल नहीं सकती। ये भारत के भाग्य की अमर रेखाएँ हैं।

इस प्रकार कुदरत ने हमारे देश के चारों ओर हदबन्दी खींचकर उस पर एकता की मुहर लगा दी है। जगज़ाहिर है कि इस चौहद्दी के बीच में सारा देश एक है। कमाल की बात यह है कि इसके घेरे के भीतर सतरह-अठारह लाख किलोमीटर के

लम्बे-चौड़े मैदान में कहीं कोई ऊँचा पहाड़ नहीं, कोई समुद्र नहीं जो एक कोने को दूसरे कोने से अलग करे। ये निशानियाँ हमारे नक्शे की निशानियाँ हैं।

कुदरत की इस रचना में सारा भारत एक है।

जैसे सतरह-अठारह लाख किलोमीटर लम्बा एक ही बड़ा गाँव हो।

जैसे एक ही घराने के सौ करोड़ भाइयों का साझे का एक बड़ा खेत हो।

जैसे एक ही लम्बे-चौड़े खेत में सिंचाई-बुआई के लिए अलग-अलग क्यारियाँ बना ली गई हों।

ये क्यारियाँ हमारे देश के प्रदेश हैं।

इसकी मेंड़-मुँडेर बनावटी हैं।

जब ज़रूरत पड़ती है, भाई लोग उन्हें उसार लेते हैं—नहीं तो सारा खेत एक है।

कुदरत के नक्शे में सारा भारत एक है। इसका मैदान एक है, आँगन एक है। रेल का पहिया पूरब से लुढ़काओ तो पश्चिम तक नाक की सीध में लुढ़कता जाएगा। रथ का चक्र उत्तर से चलाओ तो बिना किसी ऊँच-नीच की रुकावट के दक्षिणी किनारे में पहुँचकर ही दम लेगा। ऐसे एक पूरे देश पर एक ही राजा के राज्य को चक्रवर्ती राज्य कहते हैं। जैसे श्री रामचन्द्र का और महाराजा युधिष्ठिर का राज्य चक्रवर्ती राज्य था। उनके रथ का चक्र भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक चलता था। ऐसा ही बेरोक चक्र था महाराज अशोक का। ऐसा ही चक्र आज भारत के लोकराज्य का है। तभी तो अशोकचक्र का निशान हमारे झण्डे पर छपा है, जिसका सीधा-सादा मतलब है कि भारत एक है।

भारत के सारे नक्शे पर जिस राजा का राज्य हुआ वह पहला

राजा भरत था। उसीके नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। तब से यह एक है। जहाँ-जहाँ भारत की हदें शुरू होती हैं, वहाँ-वहाँ पहाड़ों की ऊँची दीवारें हैं। जहाँ-जहाँ देश की सीमा खत्म होती है, वहाँ-वहाँ समुद्र की गहरी खाई है। हमारे नक्शे की ये लकीरें तब तक अमिट रहेंगी जब तक सूरज पूर्व से निकलता और पश्चिम में डूबता रहेगा। ये तब तक अटूट रहेंगी जब तक आग में गर्मी है, हवा में तेज़ी है और पानी में ठण्डक है। ये हमारी किस्मत की अमिट-अटूट लकीरें हैं।

इन लकीरों के घेरे में सोने की वह भूमि है जिस पर हम और तुम रहते हैं। यह है हमारा भारत। यह हमारा स्वर्ग है और हम इसके देवता हैं। भारत के जो तैंतीस करोड़ देवता हैं, वे हमीं तो हैं—साहसी और बहादुर। हमारा भारत तब तक एक और अटूट रहेगा जब तक इसका एक भी सपूत जीता है।

पानी एक

सतयुग के किसान ने देखा कि भारत की पनिहारिन हवाएँ पूर्व और दक्षिण में जाकर हिन्द महासागर के पनघट से पानी भरती हैं। भरे बादलों की गगरिया सिर पर उठाए वे उत्तर और पश्चिम में खड़े हिमालय से जा टकराती हैं। उनकी गागर का पानी बीच में हज़ारों किलोमीटर लम्बे-चौड़े भारत की प्यासी धरती पर बरस पड़ता है, छम, छम। धरती हरियावल से लहलहा उठती है।

किसान ने यह सब देखा, सोचा और समझा। देश में एक

ही जगह से बादल उठते हैं, एक ही पहाड़ से टकराते हैं और एक ही नियम से सारे भारत में वर्षा होती है। किसान ने अपनी सीधी-सादी भाषा में इसे एक वर्षा का भारत या भारतवर्ष कहना आरम्भ कर दिया। यही भारत का पूरा और पुराना नाम है।

किसान ने देखा, यह कुदरत का कमाल है। अगर वह हिमालय को उसकी असली हद से सात-आठ सौ किलोमीटर हटकर बनाती तो पनिहारिन हवाएँ उससे टकराकर इधर ही बरस जातीं। हिमालय के उस पार बसा भारत का सात-आठ सौ किलोमीटर का इलाका प्यासा ही रह जाता। पर कुदरत चाहती थी कि भारत की आखिरी क्यारी तक पानी बरसे। इसलिए उसने हिमालय को आखिरी क्यारी के भी पार बनाया।

अगर कहीं कुदरत हिमालय की मुँडेर पर कुछ कम मिट्टी उसारती और हिमालय कुछ कम ऊँचा रह जाता तो पनिहारिन उसे

लाँघकर पार निकल जातीं और परदेश में जा बरसतीं। पर कुदरत को यह भी मंजूर न था। उसने सोच-समझकर हिमालय को उनतीस हज़ार फुट से भी अधिक ऊँचा बनाया। कुछ सोचकर ही उसने भारत के एक कोने पर हिन्द महासागर बनाया और दूसरे कोने पर हिमालय। निश्चय ही उसका इरादा था कि बीच के सारे इलाके में एक ही नियम से वर्षा हो सके।

वर्षा के एक नियम ने ही भारत को भारतवर्ष बनाया। इसी एक नियम के कारण ही सारे भारत का एक ही मुख्य धंधा बना—खेती-बाड़ी। भारत के पचासी फ़ीसदी लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। इस नाते भी सारा भारत एक है। उसकी एकता की एक बहुत बड़ी कड़ी खेत और खेती है।

खेती के लिए वर्षा के बाद दूसरा काम नदियों का है। नदियाँ निकालने में भी कुदरत के दिमाग़ की सूझ देखिए। बादल तो दक्षिण से उठकर उत्तर में टकराते हैं। नदियों का बहाव इससे उल्टा है। वे अधिकतर उत्तर में हिमालय से निकलती हैं। और बीच में हज़ारों किलोमीटर लम्बे-चौड़े मैदान की प्यास बुझाती हुई, खेत-बगीचे सींचती हुई दक्षिण में पहुँचकर हिन्द महासागर में मिल जाती हैं। वर्षा ने आकाश के रास्ते भारत को एक बनाया तो नदियों ने सूखे के रास्ते उस पर एकता की मुहर लगाई।

गंगोत्री की गंगा और कलकत्ता की गंगा एक है। उत्तर की यमुना और दक्षिण की यमुना एक है। सरस्वती उनकी संग-सहेली है। उनमें होड़ लगी है कि कौन अधिक से अधिक प्यासों को पानी पिलाकर सागर को पहले छूती है। बस, इसी होड़-दौड़ में वे देश के नगर-नगर का चक्कर लगाती हैं। गाँव-गाँव में घूमती हैं, सिर पर उठाए पानी की गगरिया। न जाने क्या जादू है उनके पानी में? जिस पर एक बार छिड़क देती हैं उस बस्ती के सूखे खेत हरे

हो जाते हैं। वहाँ मुर्दे जाग उठते हैं, कलियाँ खिलखिलाने लगती हैं और फूल मुस्कराने लगते हैं। वहीं क्यारी-क्यारी और खेत-खेत में वनस्पति की जवानी लहराने लगती है। तीनों नदियाँ अलग-अलग रास्ते से भारत की तीर्थयात्रा करके जब संगम पहुँचती हैं तो एक-दूसरे के गले लिपटकर एकरस, एकरंग और एकधार हो जाती हैं।

गंगा, यमुना और सरस्वती का यह मिलन सौ करोड़ हिन्दुस्तानियों के मिलन की निशानी है। संगम में तीन नदियाँ मिलती हैं। यह एक छोटा मिलन है। हमें तो हिन्द महासागर बनाना है, जहाँ भारत की सब नदियाँ मिलती हैं। कोई नदी यह नहीं देखती कि मैं पूर्व में जन्मी हूँ, मैं पश्चिम में पली हूँ, मैं उत्तर से चली हूँ। वे तो बस एक बात जानती हैं कि वे एक हिन्द में जन्मी हैं और एक हिन्द महासागर में मिलकर उन्हें एक हो जाना है।

आओ देश-भाइयो, हम भी चारों कोनों से निकलकर जनता के हिन्द महासागर में मिलकर एक हो जाएँ। हमारे महामिलन से भारत माँ धन्य हो जाएगी।

रंग बिरंगी फुलवारी

वाह रे भारत के माली! क्या गज़ब की फुलवारी है तेरे देश की! लाल, पीले, हरे, नीले—हर रंग के फूल यहाँ मौजूद हैं। कौन वह रंग है जो कुदरत ने यहाँ नहीं बिखेरा? कौन वह हवा है जो

यहाँ नहीं बहती? कौन वह बहार है जो यहाँ नहीं मुस्कराती ?

सचमुच भारत जैसा रंग-बिरंगा देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं।

यहाँ तरह-तरह की मिट्टियाँ मौजूद हैं।

गोरी-काली, भूरी-सांवरी, चिकनी-रेतीली मिट्टियाँ प्रदेश-प्रदेश में बिखरी पड़ी हैं।

रंग-रंग का जलवायु यहाँ दिखाई देता है। गरम से गरम, ठण्डा से ठण्डा। खुश्क से खुश्क, तर से तर।

कहाँ चिरापूँजी की पहाड़ियों जहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, और कहाँ राजस्थान का रेगिस्तान जहाँ महीनों पानी बरसता ही नहीं। कहाँ शिमला-कश्मीर की बर्फ-सी ठण्डी पहाड़ियाँ और कहाँ मद्रास-बंगाल के आग से तपते मैदान। हर रंग-ढंग की

जलवायु यहाँ दिखाई देती है। फिर यह कैसे हो सकता है कि ऐसे रंगीले मिट्टी-पानी का असर यहाँ के लोगों पर न पड़े। पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। जो हिन्दुस्तान के रंग-बिरंगे मिट्टी-पानी से बने हैं वे लोग भी रंग-बिरंगे हैं।

क्या कभी आप कश्मीर या पंजाब गए हैं? कैसा दूध-सा गोरा रंग है वहाँ के लोगों का! पंजाब के ये गोरे हिन्दुस्तानी हैं। मद्रास, बंगाल के लोग भी देखे होंगे आपने—रंग उनका वही साँवरा-सलौना जो भगवान् कृष्ण और महाराज रामचन्द्र का प्यारा रंग था! ये साँवरे भी हिन्दुस्तानी हैं। गढ़वाल के पहाड़ियों का रंग इन दोनों से निराला है—पीला गेहुआँ रंग और चपटे चेहरे। गढ़वाल के गेंहुए लोग भी हिन्दुस्तानी हैं।

जितना घूमिए उतने रंग यहाँ दिखाई देंगे आपको, रंग-रंग के बाल, रंग-रंग की आँखें और रंग-रंग की नाकें—हर क्यारी का नया रंग है यहाँ। नहीं, नहीं, हर क्यारी यहाँ की रंग-बिरंगी है। हर रंग-रूप के लोग हर प्रान्त में यहाँ दिखाई देते हैं।

पर रंग-रूप का हममें कोई भेद नहीं—काला, पीला, गोरा ये सब मिट्टी के कच्चे रंग हैं। ये प्रान्त-प्रान्त, पहाड़-पहाड़ और मैदान-मैदान में बदलते हैं। बदलते रहें। एक रंग ऐसा है जो देश-भर में कहीं नहीं बदलता। वह है हिन्दुस्तानियत का रंग। यही हमारा पक्का रंग है जिसमें हर हिन्दुस्तानी का दिल रंगा है। चमड़ी के बदलते रंगों में ज़रा भीतर झाँककर देखो तो हर नर, हर नारी के दिल का ही रंग दिखाई देगा—हिन्दुस्तानियत का गहरा रंग। पूछो तो हर कोई घमण्ड से कहेगा—'मैं हिन्दुस्तानी हूँ।'

यह हिन्दुस्तानियत ही हमारा सच्चा रंग है।

इस पर चमड़ी का कोई असर नहीं पड़ता। गोरे भी हिन्दुस्तानी हैं, साँवले भी हिन्दुस्तानी हैं।

क्योंकि हिन्दुस्तानियत रंग-रूप से ऊपर है।

खानपान के भेद से इसका कोई सरोकार नहीं। चावल खानेवाला भी वैसा ही हिन्दुस्तानी है जैसा गेहूँ खानेवाला।

क्योंकि हिन्दुस्तानियत खानपान से ऊपर है।

इस पर भेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साड़ी और लहँगा, धोती और पायजामा पहननेवाले सब ही हिन्दुस्तानी हैं।

क्योंकि हिन्दुस्तानियत हमारे भेस से ऊपर है।

इसके लिए बोली का फरक नहीं। भारत में आठ सौ पैंतालीस बोलियाँ हैं।

उनके बोलनेवालों की हिन्दुस्तानियत बोलियों से ऊपर है।

हमारी हर चीज़ से ऊपर है हमारी हिन्दुस्तानियत। वह इतनी विशाल है जितना विशाल कि हिन्दुस्तान। इसका रंग हम पर गहरा है कि इसे दूसरा कोई रंग दबा नहीं सकता।

इसका मतलब यह कभी नहीं कि हिन्दुस्तानियत का बस एक रंग है। अरे वह तो खुद रंग-बिरंगी है। हिन्दुस्तान में चमड़ी, चेहरे, बोलचाल और खानपान के जितने रंग हैं वे सब इसी के तो रंग हैं। हमें ये रंग उसी क़ुदरत ने दिए हैं जिसने हमें दिया है हमारा प्यारा देश भारत। इसलिए ये भी हमें उतने ही प्यारे हैं जितना प्यारा हमारा हिन्दुस्तान। रंग-रंगीलापन हमारे देश की शान बन गया है। वह हमें खुद क़ुदरत ने दिया है।

बर्फ़ानी पहाड़ों में रहनेवाले लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गरम कपड़े पहने, गरम खानपान के तरीके सोचे और उनका हर ढंग, हर रिवाज़ सर्द इलाके के अनुकूल बन गया। उधर मैदान में गर्मी अधिक होती है। लोगों ने ढीले-ढाले और हल्के-पतले कपड़े पहनने पसन्द किए। उनके खानपान के तौर-तरीके भी कुछ अलग होने ज़रूरी हैं। इस तरह हर इलाके में अपने-अपने ढंग और

अपने-अपने रंग हैं। कहीं चावल और दाल खाया जाता तो कहीं चावल और मछली। चावल भी सब जगह एक जैसे बनते हों यह बात भी नहीं। हर इलाके में चावल बोने, चावल काटने, चावल उबालने—यहाँ तक कि चावल परोसने और खाने के ढंग भी अलग-अलग हैं। यह तो हुई एक अनाज की बात।

हमारे देश में गेंहू, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार और चना जैसे कई अनाज कई तरह से बोए, काटे, बनाए और खाए जाते हैं। एक इलाके का हिन्दुस्तानी जब दूसरे इलाके में जाता है तो उसी अनाज को नए-नए ढंग से बनते देखकर खुश होता है, हैरान होता है। पर वह कभी नहीं सोचता कि गेहूँ खाने का मेरा ढंग चले, बाकी ढंग खत्म हो जाएँ। नहीं, जो हिन्दुस्तानी है उसका दिमाग ऐसी छोटी बात कभी सोच ही नहीं सकता। इससे उलट, वह जिस इलाके में जाता है उसी का होकर रह जाता है। वहीं का खानपान,

वहीं का रंग-ढंग का रहन-सहन अपनाने में उसे खुशी होती है।

चाहे हम घर रहें, चाहे बाहर। क्या यह ठीक नहीं कि हर हिन्दुस्तानी अपने रंग में मस्त रहे? क्या यह उचित नहीं कि देश का हर निवासी अपने मनपसन्द के कपड़े पहने और अपने मनपसन्द की बोली बोले। पर दिल से वह हिन्दुस्तानी बना रहे, हिन्दुस्तान के हर रंग को प्यार करे। कितना अच्छा उसूल है यह! यही हमारे देश का उसूल है। यही हमारी एकता है।

अगर कोई एकता का मतलब यह ले कि सब हिन्दुस्तानी एक जैसे कपड़े पहनें, एक जैसा खाना खाएँ और एक जैसी बोली बोलें, तो लोग उस पर हँसेंगे। जीवन की हर बात में एक रंग हिन्दुस्तान में न तो कभी हुआ और न ही होगा। इससे उल्टे, हिन्दुस्तानियों को तो जीवन में विभिन्नता पसन्द है पर मन से सब पहले हिन्दुस्तानी हैं पीछे कुछ और।

जब हम मिलते हैं तो हमारे दिल में कोई छोटी बात नहीं आनी चाहिए।

"हम तो दिल्ली के हैं जी।"

"हम जयपुर के हैं।"

"हम तो गंगा के इस पार के हैं, तुम कहाँ के हो?"

"भई, हम तो गंगा के उस पार के हैं।"

"तुम कौन जाति हो?"

"जाट, और तुम?"

"अहीर।"

"हिन्दुस्तानी" कहना भला लगता है या जाट, अहीर, पांड़े, शर्मा, वर्मा और गुप्ता? सुनो भाई, धर्म-कर्म चाहे कुछ भी हो, हम सब भाई-भाई हैं। हमारा भाई-चारा उतना ही लम्बा-चौड़ा है जितना लम्बा-चौड़ा देश है।

तिजोरी एक

हमारा भारत एक पूर्ण देश है।

अपनी ज़रूरत की हर वस्तु यहीं पैदा होती है।

पंजाब में गेहूँ, मद्रास-बंगाल में चावल।

बिहार-बंगाल में कोयला, उड़ीसा-मैसूर में लोहा, बम्बई-मद्रास में कपड़ा, उत्तर-प्रदेश में गन्ना और गुड़।

सोना-चाँदी, मिर्च-मसाले, चाय, रेशम—सब यहीं का यहीं मिलता है।

कौन वह दौलत है जो भारत भूमि हमें नहीं देती ?

कुदरत ने इसे अपने-आपमें पूरा बनाया है, ताकि भारत मज़बूत रहे।

खुशकिस्मती से हमारा देश बहुत मज़बूत है—क्योंकि वह अपने पाँवों पर आप खड़ा है। क्योंकि वह किसी चीज़ के लिए किसी देश का मुहताज नहीं। व्यापार का लेन-देन अलग बात है। नहीं तो, हम किसी के आगे हाथ पसारना नहीं सीखे। बाहर से माँगने की नौबत ही क्यों आए? जो माँगना है अपने देश की धरती से माँगें। वह हर चीज़ हमें दे देगी।

हमारे लिए यह कुबेर की तिजोरी है, जिसमें हर दौलत के खज़ाने हैं।

हिन्दुस्तान के लिए यह स्वर्ग का कल्पवृक्ष है।

जो माँगो, यह वही फल देती है।

भारत के लिए जैसे यह कामधेनु है।

यह मुँहमाँगी इच्छाएँ पूरी करती है।

इस धरती के सहारे भारत एक पूर्ण देश है, क्योंकि धन-धान्य

के मामले में भारत अपनी ज़रूरतें आप पूरी करता है।

पर भारत तभी पूर्ण है जब कि सारा देश एक है। भारत की ज़रूरत की हर वस्तु तभी घर में मिल सकती है, जब कि भारत के प्रांत-प्रांत में लेन-देन हो। एक जगह तो हर चीज़ पैदा नहीं होती। कोई एक चीज़ हर जगह नहीं होती। इसलिए भारत का काम-काज घरेलू लेन-देन से चलता है। जो चीज़ एक प्रान्त में ज़रूरत से अधिक होती है, उसे वह दूसरे प्रान्तों के लिए भेज देता है। बदले में उन प्रान्तों की वे चीज़ें मँगवा लेता है जो उनके पास तो ज़रूरत से अधिक हैं, पर जिनकी इसे ज़रूरत है। लेन-देन का यह भाईचारा भारत में सदियों से चला आ रहा है। सदियों से भारत के प्रान्त-प्रान्त में व्यापार का ताँता बँधा है। सदियों से हम एक-दूसरे का हाथ बँटाते चले आए हैं। हिन्दुस्तानियत के इस उसूल पर चलने से देश के किसी कोने में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हमारी सब ज़रूरतें घर की घर में पूरी हो जाती हैं। इसी उसूल पर हमारा भारत एक पूर्ण देश है।

भारत में चीज़ें इस प्रकार पैदा होती हैं—

सूती कपड़ा	:	बम्बई
लोहा	:	बिहार, बंगाल
चमड़ा	:	कानपुर, आगरा
चीनी, गन्ना	:	उत्तरप्रदेश
कागज़	:	टीटागढ़
सीमेण्ट	:	राजस्थान, मध्यप्रदेश
दियासलाई	:	कश्मीर
पत्थर का कोयला	:	बंगाल, बिहार
गेहूं	:	पंजाब
चावल	:	बंगाल, बिहार

रेशम	:	कश्मीर प्रदेश
बर्तन	:	मुरादाबाद

जो वस्तु भारत के किसी भी कोने में पैदा होती है वह सारे भारत की जायदाद है। उसमें हर हिन्दुस्तानी का हिस्सा है। इसलिए उसका माली उसे अकेला नहीं खाता, बाँटकर खाता है। रेल, मोटर और बैलगाड़ी के द्वारा वे देश के कोने-कोने में पहुँचती हैं। बाज़ार-बाज़ार में बिकती हैं और घर-घर के लोग उसे स्वाद

और शौक से खाते हैं। उनके मीठे स्वाद में उनके उस भाई की मीठी याद भी मिली है जिसने देश के दूसरे कोने में रहकर उनके लिए वह उपहार उपजाया है। बदले में ये भी अपने प्रान्त की सबसे बढ़िया उपज उस देश-भाई को अवश्य भेजेंगे। नहीं, नहीं, सारे हिन्दुस्तान में भेजेंगे। सारे हिन्दुस्तान के लोग इसे खाएँगे। इस जोश में पूरी मेहनत से माली बाग लगाता है, पूरी ताकत लगाकर किसान अनाज पैदा करता है, ताकि बालों में मोतियों-से दाने पड़ें और टहनियों पर मुँह-बोलते-से फल लगें।

इसी लगन से कश्मीर का माली सेब उगाता है।

इसी प्यार से उत्तर-प्रदेश का किसान ईख की पोरी-पोरी के लिए पसीना बहा देता है।

इसी आस में बम्बई का व्यापारी कपड़े की बढ़िया किस्में तैयर करता है।

इसी रिश्ते की खातिर दक्खिन का कारीगर हमारे लिए कील-काँटे घड़ता है।

इस देश का हर कमेरा, हर मज़दूर, हर किसान और हर व्यपारी अपने हिस्से की कमाई करने में अपना सारा हुनर लगा देता है, क्योंकि वह जानता है कि सारे देश को सेब, चीनी, कपड़ा या कीलें पहुँचाने का भार उसी के सिर पर है। यहाँ प्रान्त प्रान्त के लोगों में हिन्दुस्तानियत का यही जोश है जो सारे देश को एक लड़ी में पिराए है।

भगवान न करे, लेकिन अगर भारत का कोई प्रदेश सारे देश से अलग रहना चाहे तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि धरती के नाते सारा भारत एक शरीर है। शरीर का अंग-अंग कटकर अलग नहीं रह सकता। रहेगा भी कैसे? अगर एक प्रान्त की रोटी उसके पास है तो उसका पानी दूसरे

प्रांत के चश्मों से निकलकर आता है। उसकी चाय तीसरे प्रान्त में, नमक चौथे में, मिर्च-मसाले पाँचवें में, लकड़ी-चौखट छठे में और कील-काँटे, कपड़ा-लत्ता सातवें, आठवें, नवें, दसवें प्रान्त में रखा है। बात तो तभी बनेगी जब सारे देश को एक घर मानकर हम जिएँ। सारे देश से अलग रहकर कोई प्रान्त जी ही नहीं सकता। और किसी एक प्रान्त के बिना सारा हिन्दुस्तान अधूरा रह जाएगा। ऐसा है हमारा अटूट रिश्ता। हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते।

अब तुम्हीं सोचो कि अकेले रहने में सुख है या मिल-जुलकर रहने में भूखा-नंगा रहने में मज़ा है या फलते-फूलते रहने में।

निश्चय ही हिन्दुस्तान का कोई भी सपूत उन्नति की दौड़ में पीछे रहना पसन्द न करेगा। इसलिए, आओ साथियो, हम सब मिलकर आगे बढ़ें।

बोलचाल एक

हे बाजे, बजो।
खूब बजो।
सुरताल से बजो।
तीन पदों और सात सुरों में बजो।
अनगिनत राग और रागिनियों में बजो।
तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो।
जानते हो क्यों ?

क्योंकि तेरी आवाज़ देश की आवाज़ से मिलती है, जो कि मुझे प्राणों से भी प्यारा है। तेरी मीठी बोली सुनकर मुझे अपने देश की रंग-रंगीली बोलियाँ याद हो आती हैं।

रुको मत बाजे, बजते जाओ, सुनते कान नहीं थकते। देखते आँख नहीं भरती।

बाजे, तेरा शरीर एक है न। तेरे शरीर के भीतर एक ही दिल धड़कता है न। एक ही साँस तुझमें प्राण फँकती है न। फिर भी तू रंग-रंग की बोलियाँ बोल लेता है। यह कैसे ?

हूँ, मैं समझा। तेरे मुँह में ज़बानें अनेक हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः... ये तो बीस-तीस हैं। हर ज़बान एक नया बोल बोलती है। हर बोल हर दूसरे बोल से निराला है। फिर भी तेरी बोलियों में कोई लड़ाई नहीं। बोलती हैं तो सब एक साथ, चलती हैं तो सब एक साथ, रुकती हैं तो सब एक साथ। तेरे अनेक सुर एक साथ निकलकर भी अलग-अलग ढपली अलग-अलग राग नहीं अलापते। वे सब एक सुर होकर एक ही राग की रचना करते हैं। धन्य है बाजे तेरी मिठास! न होतीं ये दस-बीस ज़बानें, तो न निकलतीं ये रंग-बिरंगी बोलियाँ और न हमें सुनने को नसीब होतीं ये रंग-रंगीली रागिनियाँ, जो कानों में बताशे घोलती हैं, जो दिल में शहद उँडेलती हैं। बाजे, यह तेरा बड़ा कमाल है।

पर तूने अभी मेरे देश का कमाल नहीं देखा। यह भी तुझ-सा ही है। तेरी तरह उसकी भी अनेक ज़बानें हैं– असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगू—ये सब मेरे देश की मुख्य ज़बानें हैं। हम इन्हें भाषा भी कहते हैं। इनकी बोलियाँ गिनो तो गिनती भूल जाएँ। आठ सौ, नौ सौ से अधिक हों तो हों, पर कम एक नहीं। फिर भी इनके सुर-ताल एक हैं। इनकी अपनी-अपनी

ढपली अपना-अपना राग नहीं। एक ही राग की रचना करती हैं ये। अलग-अलग होकर भी ये एक सुर हैं, एक ताल है। क्योंकि इनका शरीर एक है, दिल एक है। आत्मा एक है।

मेरे देश की भाषाओं का शरीर एक है क्योंकि भारत की प्रायः सभी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत उनकी एक माँ है। दूसरी भाषाएँ उनकी बहनें हैं। जो दो-चार भाषाएँ सीधी संस्कृत से नहीं निकलीं उन्होंने संस्कृत के सैकड़ों-हज़ारों शब्द अपने में भर लिए। इस तरह भारत की सब भाषाओं का शरीर

बनाने में संस्कृत का बड़ा हाथ है। संस्कृत के नाते सब भाषाएँ एक-दूसरी के पास, और पास, बहुत पास पहुँच चुकी हैं। जा कसर रह गई थी वह आपसी लेन-देन के द्वारा पूरी हो गई। सौदागर लोग सौदे का लेन-देन करते हैं। भारत की भाषाओं ने आपस में शब्दों का लेन-देन किया। उनमें शब्दों के लेन-देन और रिश्ते-नाते का मेलजोल इतना बढ़ा कि इधर के शब्द उधर और उधर के शब्द इधर आ गए। सदियों से एक-दूसरी भाषा में पलते-बढ़ते हुए बेशक ऐसे ही खिचड़ी हो गए कि पहचाने भी नहीं जाते कि ये बाहरी हैं। इस रिश्तेदारी में भारतीय भाषाओं की शक्लें आपस में ऐसे मिलने लगी हैं जैसे भाई-बहनों के चेहरे मिलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या?

संस्कृत	**मलयालम**	**तेलुगू**	**हिन्दी**	**उर्दू**	**पंजाबी**	**कश्मीरी**
एकम्	एकम्	एक	एक	एक	इक्क	अख़
हलम्	हलम्	हल	हल	हल	हल	—
अग्नि	अग्नि	अग्नि	आग	आग	आग	—
अगणितम्	अगणितम्	—	अनगिनत	अनगिनत	अनगिनत	—
कण्टकम्	कण्टकम्	काँटा	काँटा	काँटा	कंडा	—
गोलम्	गोल	गोल	गोल	गोल	गोल	गोल
घटः	घट	घट	घट	घड़ा	घड़ा	घंड़ा
चन्द्रः	चन्द्रन्	चंदा	चाँद	चाँद	चन्न	—
हीरं	हीरं	हीरा	हीरा	हीरा	हीरा	हीरा

देखो, शब्दों की शक्लें कितनी मिलती हैं। शब्दों से बढ़कर भारत की सब भाषाओं की जो बात समान है, वह है—लिखावट। उर्दू को छोड़कर हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं के अक्षर एक हैं। उन्नीस-बीस का फर्क, फर्क नहीं होता। इतना फर्क तो जुड़वाँ

भाइयों में भी होता है। सुना है कि यही सोचकर अब हिन्दुस्तान की सब भाषाओं की एक ही लिखावट तय होने जा रही है—देवनागरी। फिर तो समझो जिसने देवनागरी का कायदा पढ़ लिया वह हिन्दुस्तान की सौ फीसदी लिखावट को पढ़ सकता है। साझे शब्दों के सहारे सौ में से पच्चीस-तीस शब्द समझ भी लेगा। बाकी कमी चार-छः महीने वहाँ रहने से पूरी हो जाएगी।

भारत की भाषाओं का दिल भी एक है। दिल में धड़कन भी एक है। क्योंकि उनमें सोचने-समझने के तौर-तरीके बराबर हैं। हम भाषाएँ तो अनेक बोलते हैं पर उनमें एक ही प्रकार की विचार प्रकट होते हैं।

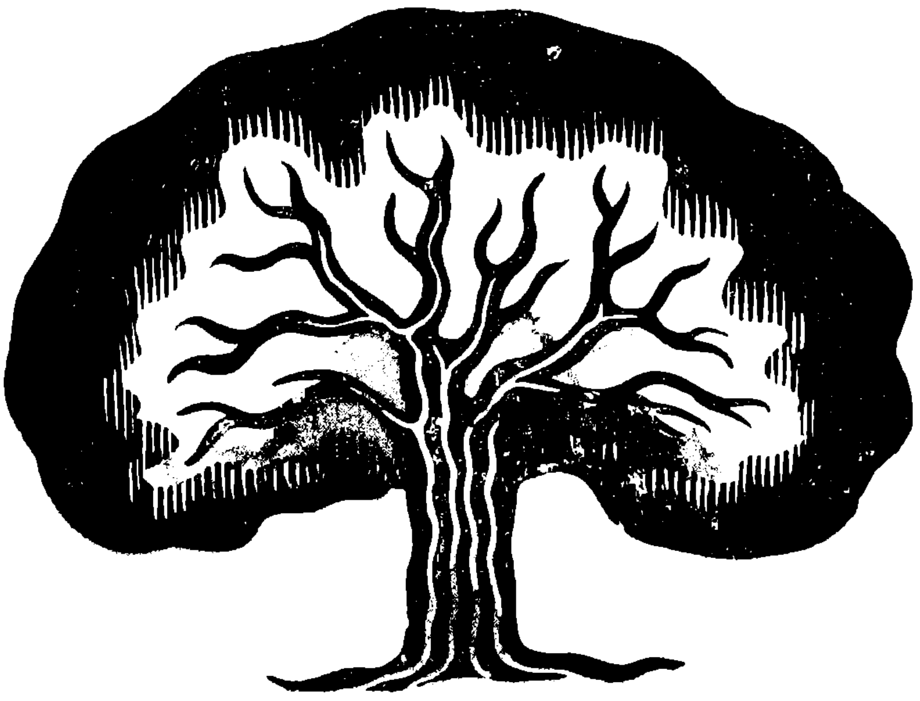

हिन्दुस्तान की कोई भी भाषा पढ़ देखिए। वहाँ आपको पहाड़ों की चोटियों का वर्णन अवश्य मिलेगा। झरने मिलेंगे। नदियाँ मिलेंगी। चाँदनी दिखाई देगी। पशु-पक्षियों के किलोल नज़र आएँगे। ये भारत की भाषाओं की निशानियाँ बन गई हैं।

हो नहीं सकता कि भारत के किसी कवि ने कुछ लिखा हो और उसमें उसने उगते सूर्य का वर्णन न किया हो। कोई मान नहीं सकता कि किसी हिन्दुस्तानी कथा-कहानी में बसंत-बरसात आदि छः ऋतुओं का जिक्र न आए। जिसमें बाग-बगीचे, झूला और सावन, फूलों और बेलबूटों का वर्णन न हो—समझ लो कि वह हिन्दुस्तानी भाषा की कोई रचना नहीं।

भारत की सब भाषाओं की आत्मा भी एक है—सौ फीसदी एक। कैसे ?

हर भाषा में वही शान्ति की आशा।

हर भाषा में वही भक्ति के लिए भूख।

हर भाषा में वही त्याग और तप के लिए तड़प।

हर भाषा में वही बहादुरी की लहर।

वही कहानियाँ, वही कहावतें।

वही गीत, वही उपदेश।

भारत की प्रत्येक भाषा का आधे से अधिक हिस्सा राम और कृष्ण की लीलाओं से भरा मिलेगा। बाकी हिस्सों में वही महाभारत, वही पुराण, वही गीता, वही रामायण, वही आज़ादी की लहर, वही देश-भक्ति की तरंग। वही प्रेम, वही, प्यार—भारत की सब भाषाओं में यही आत्मा बोलती है, भेद केवल बोली का है।

इस प्रकार भारत की भाषाएँ आपस में एक हैं—शक्ल में कम, अक्ल में अधिक।

कानून एक

देश के सबसे बड़े कानून को संविधान कहते हैं। सारे भारत का एक ही संविधान है। आज़ाद हिन्दुस्तान का नया संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। उसमें साफ़ लिखा है :

आज के दिन हम भारत के लोग अपने देश की सबसे ऊँची बागडोर लोकराज के हाथों में सौंपते है। इसकी नज़र में हम सब लोग बराबर हैं।

समाज में हर हिन्दुस्तानी का हक बराबर है। धन-माल के बारे में हमारे अधिकार समान हैं। राजकाज में सबका हाथ है।

कानून की नज़र में हम सब एक हैं। हर हिन्दुस्तानी आदर की हर कुर्सी के योग्य है।

भारत के हर नागरिक को अपनी मनपसन्द की सोचने और अपनी मनभाती कहने की पूरी आज़ादी है। धर्म-कर्म के मामले में हर नागरिक को पूरी-पूरी छूट है—जिसे पूजे, जिसे माने। हर हिन्दुस्तानी का यह अधिकार है कि वह सिर ऊँचा करके चले, बढ़े और जिए।

आज के दिन हम अपने देश में एकता बनाए रखने का बीड़ा उठाते हैं। और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपसी भाईचारा बढ़ाने में सदा आगे रहेंगे।

सारे देश के लिए यह एक ही संविधान है।

एक ही संविधान से सब राज्य सरकारें चलाई जाती हैं।

एक ही कानून से सब अदालतों में न्याय होता है।

दीवानी और फौज़दारी कानून सारे देश में समान रूप से लागू है।

सरकारी नौकरी की जो शर्तें हैं, वे देश-भर में एक-सी हैं।

आज़ाद भारत का संविधान ही कानून और एकता का बीज है। देश के सब कायदे-कानून इसमें से निकले हैं इसलिए उनमें भी एक अटूट एकता है। अधिकतर बड़े-बड़े कानून सारे भारत में एक जैसे लागू हैं। पर हर राज्य की कुछ अपनी कानूनी आवश्यकताएं भी होती हैं। उन छुटपुट कानूनों को बनाने का कुछ अधिकार राज्यों को भी है। उन्हें यह अधिकार भी दिया तो संविधान ने ही। अपने-अपने घरेलू काम के लिए कानून बनाते समय हर सूबा, हर सभा और हर पंचायत देश के संविधान के ही कदमों पर चलती है। कोई भी कानून संविधान से बाहर नहीं जा सकता। इस तरह राज्यों के कानून की लगाम भी हमारे

संविधान के हाथों में है। कानून ही नहीं, देश का कोई भी काम संविधान से उलट नहीं जा सकता। इसीलिए देश के हर रद्दो-बदल, हर काम-काज और हर स्याह-सफ़ेद की कुंजी संविधान के हाथों में है—और वह संविधान हमारे सिर-माथे पर है।

जहाँ दो राय हों, जहाँ दोदिली हो, वहाँ संविधान दुई या भेदभाव की छोटी भावनाओं से ऊपर है।

संविधान की दृष्टि में देश के सब धर्म बराबर हैं।

न कोई धर्म उसका अपना है, न पराया।

इसीलिए हिन्दू उसके लिए बन्धु हैं।

मुसलमान उसके मित्र हैं।

ईसाई उसके भाई हैं।

संविधान के लिए सब प्रान्त बराबर हैं।

संविधान के लिए सब भाषाएँ समान हैं।

संविधान के लिए भारत का हर नागरिक समान है।

21 वर्ष से अधिक आयु का, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबको वोट देने का अधिकार है। हर हिन्दुस्तानी को एक-से नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। हर भारतवासी का अधिकार है कि वह सरकार से जान व माल की रक्षा प्राप्त करे। हर हिन्दुस्तानी का हक है कि वह देश के किसी भी कोने में नौकरी या काम करे और घर-जायदाद बनाए।

आज़ाद भारत के संविधान में छुआछूत एक कानूनी अपराध है। कोई छोटी जात नहीं, कोई बड़ी जात नहीं। मंदिर और कुएँ पर हर जात के लोग आज़ादी से आ-जा सकते हैं। किसी को अछूत कहना वैसा ही अपराध है जैसे चोरी करना और सेंध लगाना।

हमारा संविधान जागता संविधान है। वह देखता है कि कहीं

कोई किसी का हक तो नहीं छीनता? कहीं कोई अमीर किसी गरीब का शोषण तो नहीं करता ? देश में धनधान्य का बँटबारा तो ठीक हो रहा है न?

अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी शिकायत न्यायालय में हो सकती है। भारत का कोई भी नागरिक न्याय पाने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। वहाँ न्याय होगा। न्यायालय का कानून सरकार से भी ऊपर है। इसीलिए अगर किसी को सरकार से शिकायत है तो वह भी न्यायालय में अरजी दे सकता है। उसकी भी सुनवाई होगी। उसे भी न्याय मिलेगा।

ऐसे संविधान पर हमें अभिमान है जो अपने देश के हर नागरिक के अधिकारों की चौकसी करता है और सबको एक आँख से देखता है। ऐसे संविधान को हम धर्म-निरपेक्ष कहते हैं। ऐसे संविधान के रहते किससे चिढ़ हो सकती है! क्यों न सब लोग मिल-जुलकर रहें। क्यों न हमारी एकता दिनोंदिन पक्की और अटूट हो।

हे प्रभो! हमारा यह धर्मनिरपेक्ष संविधान अजर रहे, अमर रहे।

झण्डा एक

हे हिन्दुस्तानी, सावधान! भारत के नागरिक! खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा आ रहा है। बाजे बज रहे हैं, ढोल ढमक रहे हैं और हज़ारों की गिनती में लोग तिरंगे झंडे की छाया में एक साथ

बढ़े चले आ रहे हैं।

बच्चो, हटो! लोगो, रास्ता दो!

हिन्दुओ, झुक जाओ! सिक्खो, प्रणाम कहो!

ईसाइयो, स्तुति करो! मुसलमानो, सलामी दो!

सब मिलकर स्वागत करो, क्योंकि वह हमारा साझा झण्डा है।

यह हमारे देश का तिरंगा है, फहराने दो इसे हमारे मस्तकों पर!

आओ, इसके नीचे हम मिलकर गाएँ :

'झण्डा ऊँचा रहे हमारा।'

यह झण्डा केवल गज़-भर कपड़े का टुकड़ा नहीं। यह हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊँचा रहने का मतलब है देश की जीत! इसके झुक जाने

का अर्थ है देश की हार। इसलिए यह सदा ऊँचा रहना चाहिए। झुकने के लिए हैं, सौ करोड़ हिन्दुस्तानियों के मस्तक अपने तिरंगे के आगे।

यह केवल तीन रंगों का मेल नहीं, यह तीनों कालों में हमारे-तुम्हारे मिलन की निशानी है। इसके तीन रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। इसका जो केसरिया रंग है उसका मतलब है बहादुरी—यह रंग हमें याद दिलाता है कि इसे रंगने के लिए कैसे हज़ारों वीरों ने अपना लहू बहा दिया—हिन्दुओं ने, मुसलमानों ने, सिक्खों न, ईसाइयों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, बच्चियों ने। इसे ऊँचा रखने के लिए सन् सत्तावन में लाखों लाड़लों ने अपने सिर-धड़ बलिदान किए—उनकी कुर्बानियाँ इसके केसरिया रंग में अंकित हैं।

आज़ादी के आन्दोलन में हम सब कन्धे से कन्धा मिलाकर अंग्रेज़ों से लड़े।

हमारी वह बाहदुरी केसरिया रंग में छिपी है।

कश्मीर की लड़ाई में हम सबने मिलकर दुश्मन को देश से निकाला।

हमारी यह वीरता भी केसरिया रंग में छिपी है।

अशोक, शिवा और गोविन्द के नाम भी इसी रंग में लिखे हैं।

इसी रंग में उन शहीदों की बहादुरी भी दर्ज है जो देश के लिए गुमनाम बलिदान कर गए।

आओ, इस झण्डे के नीचे हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सब भी बहादुर बनेंगे।

तिरंगे झण्डे में दूसरा रंग सफेद हैं वह हमारे उजलेपन को प्रकट करता है। इसमें सन्तों की शान्ति चमकती है—कि लोगो,

हर आदमी से मीठा बोलो, क्योंकि हर शरीर में भगवान बैठे हैं। इस रंग में बुद्ध की दया दिखाई देती है—कि हे लोगो, हर जीव को अपने समान समझो। हर दुखिया का दर्द अपना दर्द समझो। इस रंग में गाँधी की अहिंसा मुस्कराती है—कि हे लोगो, अपने दुश्मन को भी प्यार से मित्र बना लो। अगर लड़ना पड़े तो भी हाथ में तलवार हो पर दिल में शान्ति की पुकार। आओ लोगो! इस झण्डे के नीचे हम शान्ति का प्रण लें।

झण्डे में हरे रंग का मतलब है कि हरियाली और खुशहाली। यह हरियाली किसी एक पेड़ में या एक बेल की हरियाली नहीं। यह उस बगीचे की हरियाली है जिसमें हर पेड़ हरा है, हर पौधा हरा-भरा है। झण्डे का हरा रंग सावन और वसन्त का हरा रंग है जो भारत के हर खेत में बिखरता और मैदान में बरसता है।

हमारा देश खेतिहरों का देश है न?

यूं समझो, खेती की हरियाली झण्डे में शामिल है।

हमारा देश मेहनतकश मज़दूरों का मुल्क है न?

यूं समझो, उसके पसीने की कमाई झण्डे में फलती-फूलती है।

इसमें किसानों का कुरेदता हल है और लुहारों के पड़ते हथौड़े।

इसमें हर माली की कुदाल और बढ़ई का कमाल है।

इसमें हर मज़दूर की वह हर चोट है जो देश के निर्माण में लगी है।

इस झण्डे के हर रंग में हमारी वे पाँचसाला योजनाएँ भी शामिल है। जिनमें करोड़ों लोग दिल-जान से जुटे हुए हैं। इसमें आनेवाले कल की वह खुशहाली भी शामिल है जब हमारे देश में कल-कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों, नहरों और बाँधों का जाल बिछ

जाएगा। आओ, इस झण्डे की छाया में खड़े होकर हम अपने देश को हरा-भरा बनाने का प्रण लें।

तिरंगे के बीचोंबीच अशोकचक्र इस बात का सबूत है कि हमारा देश अपने उसूल का पक्का है। इसमें नक्शे की वह एकता है जो अशोक के चक्रवर्ती राज्यों में थी। इस चक्र में हमारी यह भावना छिपी है कि जहाँ तक धरती की गोलाई है, वहाँ तक का इलाका हम विजय करेंगे—तलवार से नहीं, 'प्यार' से।

यह एकता की आखिरी हद है जिसकी गोलाई में सारी दुनिया आ जाती है।

एक माला के मनके

भाग्य से हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है। इससे भी बढ़कर हमारा भाग्य यह है कि सारे देश में एक सरकार है। इसे भारत सरकार कहते हैं। सारे देश की एक सरकार होना क्या इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं कि हमारी एकता मज़बूत है, हमारा संगठन अटूट है ?

यह बात दूसरी है कि लाखों वर्गमील के लम्बे-चौड़े देश को शासन चलाने के सुभीते के लिए छोटे-बड़े हिस्सों में बाँट रखा है। यह काम-काज का बँटवारा है, जायदाद का बँटवारा कभी नहीं। दिलों का बँटवारा किसी सूरत में नहीं।

शासन के इन बनावटी हिस्सों को राज्य कहते हैं। भारत में ऐसे 20 राज्य हैं, जिनके नाम ये हैं—जम्मू और कश्मीर, पंजाब,

हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल मेघालय, असम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, आन्ध्र, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।

हमारे एक ही देश में बीस राज्य हैं।

या यूं समझो कि इन बीस राज्यों का हमारा एक बड़ा देश है।

या एक ही परिवार में बीस मेम्बर हैं।

या एक ही पेड़ की बीस शाखाएँ हैं।

या एक ही माला के ये बीस मनके हैं।

कहने के ढंग अलग-अलग हैं, पर बात एक ही है। भारत के ये बीस राज्य मिलकर जो फलता-फूलता परिवार बनाते हैं उसे संघ या गणराज्य कहते हैं। इसीलिए भारत सरकार को भारतीय संघ या गणराज्य की सरकार भी कहते हैं। गणराज्य का मतलब

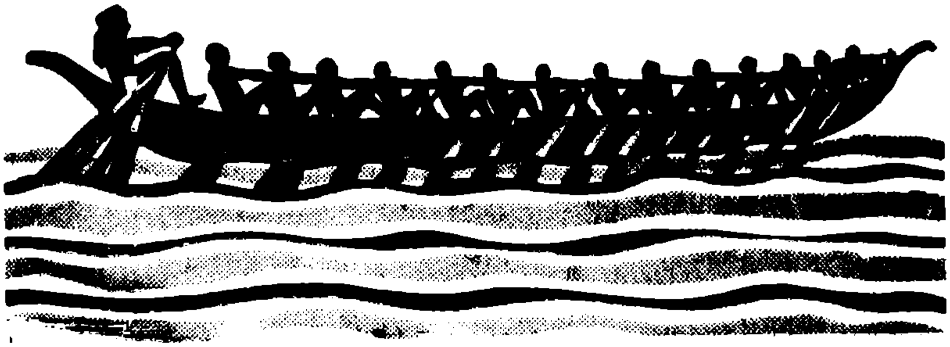

है देश में पेड़ के तने जैसी एक ऐसी मज़बूत सरकार, जिसकी शाखाएँ सारे देश में फैली हों। संविधान ने देश की हुकूमत की सारी बागडोर भारत सरकार के हाथों में सौंपी है।

आगे, भारत सरकार ने भी काम-काज के सुभीते एक लिए अपनी ताकत और अधिकारों को बीस राज्यों में बाँट दिया है। इस तरह हर राज्य में भारत सरकार की शाखा के तौर पर एक-एक राज्य सरकार भी काम करती है। इसका काम अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी करना है। अपने भीतरी मामलों में ये राज्य सरकारें उसी तरह आज़ाद हैं। जैसे माला के हर मनके को निजी तौर पर चमकने-दमकने की खुली आज़ादी है। पर मनके का असली मोल तो माला के नाते है। इसी तरह राज्य सरकारों के अधिकार भी उन्हें भारत सरकार से ही मिले हुए हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच ज़िम्मेदारियाँ तीन दर्जों में बँटी हुई हैं। पहले दर्जे में वे काम आते हैं जिनका जाल सारे देश में बिछा हुआ है; जैसे—सेना और रक्षा, रेल-मोटर आदि के आने-जाने के साधन, डाक और तार, सिक्का, विदेशी मामले, विदेशी व्यापार आदि। ये गिनती में 97 बनते हैं। इनकी सीधी ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर है। इन्हें संघ की ज़िम्मेदारियाँ कहते हैं।

दूसरे दर्जे में वे काम आते हैं जो हर राज्य को केवल अपने लिए करने पड़ते हैं। जैसे—पुलिस, जेल, खेतीबारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। ये गिनती में 66 हैं। इनके लिए हर राज्य की अपने-अपने इलाके में अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी है। पर इनके लिए भी राज्य सरकारों को भारत सरकार ही रास्ता दिखाती है। इसलिए भारत की सब राज्य सरकारों के काम-काज में भी एकता रहती है।

तीसरे दर्जे में वे काम आते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी दोनों

सरकारों पर है। इन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं।

राज्य सरकारों के बहुत बड़े-बड़े कामों में भारत सरकार मदद देती है।

भारत सरकार चाहे तो अपने हिस्से का काम भी राज्य सरकारों को सौंप सकती है।

ज़रूरत पड़े तो राज्य सरकारों का काम भी भारत सरकार अपने हाथ में ले सकती है।

संकट में राज्य सरकार की सारी ज़िम्मेदारियाँ भारत सरकार पर आ पड़ती हैं।

युद्ध के दिनों या भीतरी गड़बड़ में राज्य का सारा शासन भारत सरकार सम्भालती है।

राज्यों के बीच लेन-देन और आपसी झगड़ों को भी भारत सरकार निपटाती है।

इसी तरह भारत सरकार देश की सब राज्य सरकारों को एक लड़ी में पिरोने का काम करती है। यही कारण है कि बहुत हद तक भारत के सब राज्यों में एक ही तरह की सेवाएँ चालू हैं, भरती के नियम भी एक-से हैं, परीक्षाओं के ढंग भी एक-से हैं, योजना की चाल भी एक-सी है। मतलब यह है कि सारे देश में एकता का वातावरण पैदा हो रहा है और सारा भारत एक दिखाई देता है।

राज्यों के अलावा दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमाल-निकोबार और लक्षद्वीप आदि द्वीपों में भारत सरकार का सीधा शासन है।

हम सबकी एक कहानी

सुनो कहानी। यह भारत की एकता की कहानी है। इसके राजा-रानी हम और तुम हैं—भारत के स्त्री और पुरुष। नहीं, नहीं केवल हिन्दुस्तानी कहो। क्योंकि स्त्री और पुरुष कहने से भी दो गिनती आ जाती हैं। पर हम तो गिनती का पहला अंक हैं—एक, केवल एक। कब से ?

बहुत पुरानी बात है। आजकल कलियुग है न। जिन दिनों की हम यह बात सुनाते हैं उन दिनों सतयुग था—वही पहला युग, जिसमें ऋषि-मुनियों ने वेद-शास्त्र रचे थे। उन दिनों इस देश की धरती पर एक राजा हुआ, जिसका नाम भरत था। राजा भरत का इस देश की सारी धरती पर राज्य था। उसीके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत आर्य था इसलिए उसकी सन्तान भी आर्य कहलाई। भरत के बाद आर्य-सन्तान सारे देश में फैल गई।

युग-युग तक आर्यों ने भारत में राज्य किया।

राम, कृष्ण, अशोक उन्हीं की संतान थे।

प्रान्त-प्रान्त में उन्हीं की पीढ़ियाँ चली आ रही हैं।

कश्मीर से कन्या कुमारी तक उन्हीं के बेटे-पोते बसते हैं।

क्या हुआ यदि हमारे विश्वास बदल गए ?

हिन्दु-मुस्लिम, सिक्ख-ईसाई में लहू उन्हीं पुरखों का है।

धर्म बदल जाने से पीढ़ी तो नहीं बदल जाती !

हिन्दू और अहिन्दू की क्या, कुल और उनकी जाति तो एक ही है।

मजहब बदलने से वतन तो नहीं बदल जाता।

हिन्दू भी हिन्दुस्तानी हैं, अहिन्दू भी हिन्दुस्तानी हैं।

इस तरह हम मिल-जुलकर फूलते और फलते रहें। हमारी खुशहाली देखकर परदेशी लोग हमारे देश में आते रहे और यहाँ बसते रहे। मंगोल, मुसलमान, पारसी, पठान—ये सब यहाँ परदेश से आए हुए हैं। शुरू-शुरू में ये यहाँ अजनबी बनकर ज़रूर रहे,

पर धीरे-धीरे उन पर हमारा रंग चढ़ता गया। ये सदियों से हमारे साथ रहते आए हैं। इस लम्बे संग-साथ के कारण हमारे-उनके बीच का अलगाव कम होता गया। धीरे-धीरे रहन-सहन और सोच-विचार की कुछ ऐसी समान बातें पैदा हो गईं जिनसे हम एक-दूसरे के बिलकुल पास आ गए। वे इनमें ऐसे मिल गए जैसे घी और खिचड़ी मिलते हैं। हमने इन सबको अपने में पचा लिया, अपने देश में बसा लिया। उनका परदेशी रंग जाता रहा और एक ही पक्का रंग दिखाई देने लगा—हिन्दुस्तानियत का रंग।

कुछ वे अपना भूले, कुछ हमने उन्हें सिखाया। उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी और हमारी अपनाई। अब हिन्दुस्तानी बोली बोलते हैं। हिन्दुस्तानी पोशाक पहनते हैं। उन्होंने कुछ अपना हमें दिया और कुछ हमसे लिया। चित्रकारी में उन्होंने हमें मुगल नक्काशी दी, संगीत में उन्होंने हमें कव्वालियाँ और ख्याल दिए। पौधों में उन्होंने हमें गुलाब और नरगिस दिए; पोशाकों में उन्होंने हमें सलवार और तुर्रे या पगड़ियाँ दीं। परदेशियों की यह भेंट प्यार की भेंट थी, अतः हमने उसे सिर-माथे पर रखा। हमारी सभ्यता पहले ही बढ़ी-चढ़ी थी। यह नया खज़ाना पाकर वह और भी अमीर हो गई।

बदलने में उन्होंने हमसे हिन्दुस्तानियत सीखी। सबसे पहले वे हमारे देश के नागरिक बने। हिन्दुस्तान ने उन्हें गोद लेकर वे सब अधिकार उन्हें दिए जो एक हिन्दुस्तानी को प्राप्त हैं। अब वे इसी भूमि पर जन्म लेते, इसी भूमि पर उनका विवाह होता है, इसी भूमि पर वे अपनी निशानियाँ छोड़कर फिर इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। वे सौ प्रतिशत हिन्दुस्तानी बन गए हैं। विदेशी पौधों की जड़े भी इस फुलवारी में उतनी ही गहरी धंस चुकी हैं, जितनी कि देशी पीपल और बड़ की जड़ें। वे एक ही मिट्टी-पानी से रस लेकर

फलते और फूलते हैं।

अब वे हिन्दुस्तान को ही अपना देश समझते हैं। देश की आज़ादी के लिए वे हमारे साथ एक होकर लड़े और आज वे घर के मालिक की तरह हमारे साथ मिल-जुलकर देश की सरकार चला रहे हैं। आज जितने धर्मों को मानने वाले लोग हिन्दुस्तान में हैं वे हमीं लोगों में से एक निकले हुए हैं। हममें-उनमें रिश्तेदारियाँ हैं, ब्याह-शादियाँ हैं।

इस मेल-जोल से हिन्दुस्तान की ताकत बढ़ी ही है। घटी बिलकुल नहीं। मेल-जोल की यह नीति हमारी हिन्दुस्तानियत का पहला उसूल है। हमें सुलह-सफाई पसन्द है, खींचातानी नहीं। मार-काट और उथल-पुथल में हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है विकास पर, जैसे धीरे-धीरे बीज उगता है, जैसे धीरे-धीरे पौधा फलता-फूलता है, ठीक वैसे ही जो सहज पके हमें वह मीठा लगता है। उबल पड़ना हिन्दुस्तानियत का उसूल नहीं। परदेसियों के साथ भी हमारी हिन्दुस्तानियत का विकास धीरे-धीरे हुआ तभी वह मीठा है, भाई-भाई के प्यार जैसा मीठा।

जब-जब हमारे प्यार में कड़ुवाहट घुसी, तब-तब हम मुसीबत में पड़े। आपसी फूट ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई है। जब-जब भी यहाँ भाई-भाई की लड़ाई हुई, तब-तब पड़ोसी लुटेरों ने हम पर हमले किए और हमें लूटा।

गौरी ने हमें लूटा, क्योंकि तब राजपूत-राजपूत में लड़ाई थी। गज़वनी ने हमें लूटा, क्योंकि तब यहाँ राजाओं-राजाओं में फूट थी। सिकन्दर ने हम पर हमला किया, क्योंकि पंजाब का पुरु उनके मुकाबले में अकेला था। दूसरे भाई खड़े तमाशा देखते रहे। हमारे देश में सबसे बड़ी लूट अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई, क्योंकि तब यहाँ सबसे अधिक फूट थी। अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया।

उन्होंने धर्म को धर्म से लड़ाया। हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के दुश्मन बन गए। अंग्रेज़ों ने प्रान्त-प्रान्त को लड़ाया। हर प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्तवालों को पराया समझते थे।

अंग्रेज़ो ने राजा और प्रजा को लड़ाया। उन दिनों छः-सात सौ देशी रियासतें थीं। रियासतों के राजा प्रजा का लहू निचोड़ने में बहादुरी समझते थे। अंग्रेज़ों ने भाषा को भाषा से लड़ाया। हिन्दी, उर्दू और सैकड़ों हिन्दुस्तानी भाषाएँ सौत की तरह लड़ती थीं।

अगर हमारी यह फूट बनी रहती तो अंग्रेज़ यहाँ से हज़ार-दो-हज़ार वर्ष तक भी न जाते। नौरोजी दादा, गाँधी बाबा और नेहरू चाचा आदि सयाने लोगों ने फिर एकता का नारा लगाया, फिर एक मुट्ठी हुए। फिर हमने एक होकर अंग्रेज़ों को ललकारा तो उनके छक्के छूट गए। यह फूट पर एकता की विजय थी, नहीं तो कहाँ तोप-बन्दूक से लैस अंग्रेज़ी फौजें और कहाँ एक लंगोटी पहने नंग-धड़ंग बाबा गाँधी।

सौभाग्य से हम फिर एक ही हैं। हम फिर मज़बूत हैं। हम फिर आज़ाद हैं। हम सदा एक बने रहेंगे। हम सदा आज़ाद बने रहेंगे।

❑❑❑

सरल बालोपयोगी कहानियां

सूखा गुलाब	शिवानी
राधिका सुन्दरी	शिवानी
स्वामीभक्त चूहा	शिवानी
बिन्दो का लड़का	शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय
आनन्द मठ	बंकिम चन्द्र
अक्ल बड़ी या भैंस	अमृतलाल नागर
नटखट चाची	अमृतलाल नागर

प्रेमचन्द की सरल, सचित्र बाल कहानियां

बूढ़ी काकी
बड़े घर की बेटी
सुजान भगत
परीक्षा
शतरंज के खिलाड़ी
दो बैलों की कथा
मां की ममता
शिकारी राजकुमार
गुल्ली-डण्डा
रानी सारंधा
नमक का दरोग़ा
रामलीला
पंच परमेश्वर
मन्दिर
ईद का त्यौहार
सब से बड़ा तीर्थ
कुत्ते की कहानी
मेरी कहानी
रामकथा
जंगल की कहानियां

रवीन्द्रनाथ टैगोर की सरल बाल कहानियां

भोला राजा
काबुलीवाला
पारसमणि
मास्टरजी
तोते की कहानी
राजा का न्याय

ISBN 81-7028-414-7
9 788170 284147

राजपाल